विहंगावलोकन

1. राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र कें उपक्रमों की कार्य प्रणाली

सरकारी कंपनियो की लेखा परीक्षा की प्रक्रिया कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) के अनुसार अधिशासित होती है। 31 मार्च 2015 को मध्यप्रदेश राज्य की 64 सरकारी कंपनी (नौ अकार्यशील कंपनियॉ शामिल) एवं तीन सांविधिक निगम (सभी कार्यशील) थी। सरकारी कंपनियो की लेखा परीक्षा भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक अंकेक्षक द्वारा की जाती है। इन लेखों की अनुपुरक लेखा परीक्षा भी सी.ए.जी. द्वारा सम्पन्न की जाती है। सांविधिक निगमो की लेखा परीक्षा उनसे सबंधित विधानो[1] द्वारा नियंत्रित होती है। 31 मार्च 2015 को इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में 64826 कर्मचारी नियोजित थे। 30 सितंबर 2015 तक इन कंपनियो ने अपने अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के अनुसार ₹ 61264.43 करोड़ की आवर्त दर्ज की।

(कंडिका 1.1 और 1.3)

सरकारी उपक्रमों में विनियोग

31 मार्च 2015 को 67 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (3 सांविधिक निगम शामिल) मे विनियोग (पूंजी एवं दीर्घकालीन ऋण) ₹ 56997.43 करोड़ था। इसमे वर्ष 2010–11 में ₹ 24400.17 करोड़ से 133.59 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, कुल विनियोग का 34.77 प्रतिशत पूँजी एवं 65.23 प्रतिशत दीर्घकालीन ऋण में विनियोजित था। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश को ओर मुख्यतः उर्जा के क्षेत्र में था, यह वर्ष 2010–11 में ₹ 21414.20 करोड़ से बढकर वर्ष 2014–15 में ₹ 52367.63 करोड़ हो गया। वर्ष 2014–15 के दौरान राज्य सरकार ने ₹ 8921.46 करोड़ समता, ऋण एवं अनुदान/ उपदानो के रूप में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्रो के उपक्रमों में अंशदान किया।

(कंडिका 1.6, 1.7 और 1.8)

लेखों के अंतिमीकरण में बकाया

सितम्बर 2015 की स्थिति मे 36 सार्वजनिक उपक्रमों के 77 लेखे बकाया थे। बकाया समाप्त करने के लिये लेखों को तैयार करने से संबधित कार्य में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

(कंडिका 1.10)

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का निष्पादन

वर्ष 2014–15 के दौरान, कुल 58 कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (तीन सांविधिक निगम शामिल) में 29 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने कुल ₹ 566.51 करोड़ की लाभ अर्जित की वही 21 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने ₹ 6848.38 करोड़ की हानि वहन की। छः सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने अपने लेखे 'न लाभ न हानि' के आधार पर तैयार किये एवं शेष दो सार्वजनिक क्षेत्रो के उपक्रमों ने अपने प्रथम लेखों का अंतिमीकरण नही किया। मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (₹ 2113.02 करोड़), मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (₹ 1887.15 करोड़), मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (₹ 1810.95 करोड़) तथा मध्यप्रदेश विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड (₹ 896.82 करोड़) भारी नुकसान वहन करने वाली कंपनी रही।

(कंडिका 1.16)

---

[1] मध्यप्रदेश राज्य सडक परिवहन निगम– म.प्र. राज्य सडक परिवहन अधिनियम 1950, मध्यप्रदेश वेयर हाउसिंग लॉजिस्टिक कार्पोरेशन : म.प्र. वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन 1962 तथा मध्यप्रदेश वित निगम : म.प्र. वित निगम अधिनियम 1951

लेखों की गुणवत्ता

अक्टूबर 2014 से सितंबर 2015 तक कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा 59 लेखों का अंतिमीकरण किया गया; इनमें से सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा 44 लेखों में अनर्हता प्रमाण पत्र एवं 15 लेखो में अर्हता प्रमाण पत्र दिये गये, इसके अलावा सी.ए.जी. द्वारा एक लेखे (मध्यप्रदेश लघु उधोग निगम) में अनुपूरक लेखा परीक्षा में डिस्क्लेमर प्रमाण पत्र दिया गया। सी.ए.जी. द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक की अंकेक्षण प्रतिवेदन एवं सी.ए.जी. कि अनुपूरक लेखा परीक्षा यह दर्शाता है कि लेखों की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता है।

(कंडिका 1.21 और 1.22)

प्रतिवेदन का क्षेत्र

इस प्रतिवेदन में ₹ 4099.14 करोड़ से जुडे वित्तीय प्रभाव वाले तीन निष्पादन लेंखापरीक्षाये, एक वृहत कंडिका एवं 12 कंडिकाएँ शामिल हैं।

2. सरकारी कम्पनियों की निष्पादन लेखापरीक्षा

2.1 संजय गाँधी ताप विद्युत केन्द्र, बीरसिंगपुर की कार्यप्रणाली पर निष्पादन लेखा परीक्षा

31 मार्च 2015 की स्थिति में, मध्य प्रदेश पॉवर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड (कम्पनी) के अधीन कुल 4320 मेगावाट स्थापित क्षमता के चार विद्युत ताप केन्द्र तथा 915 मेगावाट क्षमता के आठ जल विद्युत केन्द्र है । संजय गाँधी ताप विद्युत केन्द्र अपने तीन विद्युत गृहों की कुल 1340 मेगावाट क्षमता के साथ प्रमुख ताप विद्युत केन्द्र है, (विद्युत गृह I में 210 मेगावाट क्षमता की दो इकाई, विद्युत गृह क्र. II में 210 मेगावाट क्षमता की दो इकाई तथा विद्युत गृह III में 500 मेगावाट क्षमता की एक इकाई)। संजय गाँधी ताप विद्युत केन्द (एस. जी.टी.पी.एस.) के संचालन, संधारण, अनुबंध प्रबंधन तथा पर्यावरणीय अनुपालन की समीक्षा से निम्न बिन्दु सामने आए।

विद्युत गृह I

• विद्युत गृह I 2010–11 से 2014–15 के मध्य उत्पादन लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सका और यह कमी 7.15 प्रतिशत से 34.24 प्रतिशत तक रही । उक्त विद्युत गृह का प्रदर्शन संतोषप्रद नहीं रहा क्योंकि यह मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (आयोग) द्वारा निर्धारित स्टेशन हीट रेट (एस.एच.आर.), ईधन तेल खपत, सहायक ऊर्जा खपत तथा प्लांट अवेलेबिलिटी फैक्टर (पी.ए.एफ.) के मानकों को प्राप्त नहीं कर सका । ऐसा मुख्यतः प्रमुख संचालन मानक जैसे कि उच्च मुख्य भाप तापमान, बॉयलर के सुपर हीटर एवं री–हीटर क्षेत्र में कंपन, निम्न गुणवत्ता वाले कोयले के कारण भट्टी की अस्थिरता, वार्षिक संधारण कार्य न करने के कारण बॉयलर में मुख्य उपकरणों की अनुचित कार्यप्रणाली तथा विद्युत केन्द्र का कार्य प्रदर्शन सुधारने के लिए गहन पूँजीगत नवीनीकरण एवं आधुनिकरण कार्य न करवाने के कारण हुआ ।

इसके परिणामस्वरूप, ₹ 376.04 करोड़ मूल्य के 10.42 लाख एम. टी. कोयले, ₹ 41.63 करोड़ मूल्य के 9573.490 कि. ली. इंधन तेल, ₹ 63.51 करोड़ मूल्य की 212.784 एम. यू. सहायक ऊर्जा की खपत अधिक हुई एवं 2010–11 से 2014–15 के दौरान आयोग द्वारा पारित ₹ 379.20 करोड़ की स्थायी लागत की वसूली नहीं हो सकी ।

(कंडिका 2.1.9, 2.1.10, 2.1.11, 2.1.12 एवं 2.1.13)

• वर्ष 2010–11 से 2014–15 के दौरान तल राखड़ में 1.15 प्रतिशत से 14.80 प्रतिशत तथा फ्लाई राखड़ में 0.35 प्रतिशत से 2.37 प्रतिशत अधिक अधजला कोयला पाया गया । ऐसा,

कोयले की बारीकी तथा हवा–ईधन अनुपात को नियंत्रित करने वाले उपकरणों के अभाव में बॉयलर भट्टी में अनुचित दहन के कारण हुआ । इसके परिणामस्वरूप ₹ 27.67 करोड़ मूल्य के 79648.529 एम. टी. कोयले की हानि हुई ।

(कंडिका 2.1.14)

• 20 वर्ष की सेवाकाल पूर्ण करने के उपरांत भी री–हीटर नलियों को न बदलने के कारण निरंतर दिक्कतों के फलस्वरूप ₹ 30.45 करोड़ मूल्य की 85.05 एम. यू. ऊर्जा की उत्पादन हानि हुई।

(कंडिका 2.1.17)

• विद्युत गृह I एवं II की कोयला मिलों में, बॉयलर में सटीक मात्रा में कोयला प्रदान करने के लिए उपयुक्त ग्रेविमेट्रिक कोयला प्रदायक नहीं लगे थे । इसके फलस्वरूप प्रतिवर्ष ₹ 21.20 करोड़ मूल्य के 1.31 लाख एम.टी. कोयले की अधिक खपत हुई ।

(कंडिका 2.1.18)

विद्युत गृह II

• 2010–11 से 2014–15 के दौरान विद्युत गृह II उत्पादन लक्ष्य नहीं प्राप्त कर सका, उत्पादन में 13.98 प्रतिशत से 39.63 प्रतिशत तक की कमी रही । विद्युत गृह का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं रहा क्योंकि यह आयोग द्वारा स्टेशन हीट रेट, ईधन तेल खपत, सहायक ऊर्जा खपत तथा प्लांट अवेलेबिलिटी फैक्टर(पी.ए.एफ.) के परिपेक्ष्य में निर्धारित मानकों का अनुपालन नहीं कर सका । ऐसा मुख्यतः प्रमुख संचालन मानकों जैसे, उच्च भाप तापमान, बॉयलर के सुपर हीटर एवं री–हीटर क्षेत्र में कंपन, निम्न गुणवत्ता वाले कोयले के कारण भट्टी की अस्थिरता, वार्षिक संधारण कार्यो में विलम्ब के फलस्वरूप बॉयलर उपकरणों का अनुचित कार्य करना तथा विद्युत गृह के प्रदर्शन में सुधार के लिए सघन पूँजीगत नवीनीकरण एवं आधुनिकरण कार्य न किए जाने क कारण हुआ ।

इसके फलस्वरूप 2010–11 से 2014–15 के दौरान ₹ 276.36 करोड़ मूल्य के 7.57 लाख एम.टी.कोयले, ₹ 39.48 करोड़ मूल्य के 8270.370 कि.ली. ईधन तेल तथा ₹ 80.91 करोड़ मूल्य के 254.446 एम. यू. सहायक ऊर्जा खपत की अधिक खपत हुई ।

(कंडिका 2.1.22, 2.1.23, 2.1.24, 2.1.25)

• बॉयलर में कोयले की बारीकी तथा दहन को नियंत्रित करने वाला उपकरण न लगा होने के कारण तल एवं फ्लाई राखड़ में अधजले कोयले की अधिक मात्रा पाई गई । इससे, अधजले कोयले के रूप में ₹ 12.38 करोड़ मूल्य के 32404.596 एम.टी. कोयले की हानि हुई।

(कंडिका 2.1.26)

• निवारक तथा नियमित संधारण अनुबंध होने के उपरांत भी 2010–11 से 2014–15 के दौरान विद्युत गृह–II की कोयला मिलों में बारबार त्रुटियां आती रही । ऐसा कोयले के प्रवेश द्वार पर लगी छननी का संधारण न होने के कारण बाह्य तत्वों की प्रविष्टि से कोयला पिसाई तत्वों के खराब होने के कारण हुआ । इसके कारण संयंत्र को बंद/निम्न दाब पर चलाना पड़ा जिसके फलस्वरूप ₹ 265.42 करोड़ मूल्य की 816.184 एम.यू.ऊर्जा की उत्पादन हानि हुई ।

(कंडिका 2.1.28)

विद्युत गृह–III

• 2010–11 से 2014–15 के दौरान विद्युत गृह–III उत्पादन लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सका तथा यह कमी 0.76 प्रतिशत से 7.56 प्रतिशत तक रही । आगे, यह आयोग द्वारा निर्धारित स्टेशन हीट रेट के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सका जिसके फलस्वरूप ₹ 200.25 करोड़ मूल्य के 5.92 लाख एम.टी.कोयले की अधिक खपत हुई । यह कोयले की खराब गुणवत्ता तथा बॉयलर संयंत्र के उपकरणो के समय–समय पर असंगत संरक्षण के कारण हुआ ।

(कंडिका 2.1.32 एवं 2.1.33)

• विद्युत गृह की वार्षिक ओवरहॉल को निर्धारित दिनांक से स्थागित करने के फलस्वरूप टरबाइन के अधिक ह्रास हो जाने के कारण वार्षिक ओवरहॉल की अवधि 14 दिन बढ़ानी पड़ी । इसके फलस्वरूप ₹ 63.67 करोड़ मूल्य की 168 एम.यू. विद्युत उत्पादन की हानि हुई।

(कंडिका 2.1.37)

• विद्युत गृह–III के बॉयलर में प्रयुक्त टिल्टिंग टैन्जैंशियल फायरिंग सिस्टम के अनुचित संधारण के परिणामस्वरूप जल दीवार नलियो तथा री–हीटर नलियों में परिहार्य रिसाव हुआ। इसके फलस्वरूप ₹ 75.20 करोड़ मूल्य की 220.948 एम.यू. विद्युत की उत्पादन हानि हुई।

(कंडिका 2.1.39 एवं 2.1.40)

संजय गाँधी ताप विद्युत केन्द्र में अनुबंध प्रबंधन

• संजय गाँधी ताप विद्युत केन्द्र कोयले के साथ प्राप्त बड़े आकार के पत्थरों के विरूद्ध ₹ 3.80 करोड़ की मांग राशि, मेसर्स दक्षिण पूर्वी कोलरीज लिमिटेड से वसूल नहीं सका । साथ ही राशि ₹ 80 लाख के ब्याज की लंबित मांग राशि ईधन प्रदाय अनुबंध के अनुसार आरोपित करने मे असफल रही।

(कंडिका 2.1.44)

• संजय गाँधी ताप विद्युत केन्द्र द्वारा कोलरीयों तथा रेलवे से समन्वय स्थापित करने के लिए किया गया समन्वयन अनुबंध त्रुटिपूर्ण था, क्योंकि उसमें ठेकेदार की त्रुटियों के लिये उसे उत्तरदायी ठहराने का प्रावधान नही था। उच्च गुणवत्ता वाले कोयले की उपलब्धता सुनिश्चित करने में ठेकेदार की असफलता के कारण संजय गाँधी ताप विद्युत केन्द को ₹ 351.97 करोड़ मूल्य की 1153.540 एम.यू. विद्युत की उत्पादन हानि हुई ।

(कंडिका 2.1.45)

संजय गाँधी ताप विद्युत केन्द्र द्वारा पर्यावरणीय अनुपालन

• संजय गाँधी ताप विद्युत केन्द्र भारत सरकार की अधिसूचना (नवम्बर 2009) में निर्धारित 100 प्रतिशत राखड़ उपयोग के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सका । पार्टियों के खराब प्रतिसाद के चलते 2010–11 से 2014–15 के दौरान वास्तविक राखड़ उपयोग 57.73 प्रतिशत से 79. 89 प्रतिशत रहा । आगे, खतरनाक अपशिष्ट (प्रबंधन तथा रखरखाव) नियम में दी गई 10 कि.ली. की भण्डारण सीमा के विरूद्ध 31 मार्च 2015 की स्थिति में संजय गाँधी ताप विद्युत केन्द्र ने 30 कि.ली. रेज़िन तथा 16 कि.ली. ल्यूब तेल खतरनाक अपशिष्ट को नष्ट न करते हुए, भण्डारण कर रखा था ।

(कंडिका 2.1.48 एवं 2.1.49)

2.2 मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड की गतिविधियों की निष्पादन लेखापरीक्षा

मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड भोपाल (कंपनी) का गठन राज्य में कृषि और कृषि उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश शासन (म.प्र. शासन) के संयुक्त उपक्रम कंपनी के रूप में मार्च 1969 में किया गया था। 2010–11 से 2013–14 तक की अवधि में कंपनी की बिक्री/टर्नओवर ₹ 940.02 करोड़ से ₹ 1293.77 करोड़ और शुद्ध लाभ ₹ 15.16 करोड़ से ₹ 51.20 करोड़ रहा था।

यह निष्पादन लेखापरीक्षा कंपनी के विविध पहलू यथा वित्तीय प्रबंधन, व्यापारिक एवं उत्पादन संबंधी गतिविधियों, मेकेनाइज्ड एग्रीकल्चर फार्म (एम.ए.एफ.) का निष्पादन और आंतरिक नियंत्रण तंत्र की प्रभावशीलता एवं निगरानी तंत्र का आंकलन करने के लिए वर्ष 2010–15 की अवधि हेतु की गई थी। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नलिखित है।

वित्तीय प्रबंधन

- लेखा शीर्षो हेतु एक समान कोड विकसित नहीं करने के कारण कंपनी अपने जिला कार्यालयों के लेखे समय से संकलित करनें में असमर्थ रही। फलस्वरूप वार्षिक लेखों को अंतिम रूप देने में देरी हुई थी। 31 अक्टूबर 2015 को कंपनी के 2013–14 एवं 2014–15 के वार्षिक लेखों को अंतिम रूप देना बकाया था।

(कंडिका 2.2.7)

- 31 मार्च 2015 को ₹ 231.44 करोड़ की व्यापारिक प्राप्तियां बकाया थी जिनमें से ₹ 8.65 करोड़ तीन वर्ष या उससे अधिक की अवधि से सम्बन्धित थे। इसके अलावा व्यापारिक प्राप्तियों में प्रतिकूल (क्रेडिट) शेषों का समाधान नहीं किया गया था जो वर्ष 2010–11 के ₹ 10.09 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2013–14 में ₹ 22.37 करोड़ हो गये थे।

(कंडिका 2.2.9)

नियोजन

- कंपनी ने अपने उद्देश्यों की प्राप्ति एवं गतिविधियों को दिशा देने के लिये दृष्टिकोण एवं रणनीति योजना नहीं बनाई थी। म. प्र. शासन के साथ वर्ष 2010–11 से 2013–14 के वार्षिक समझौता ज्ञापन को जिसमें कंपनी को वित्तीय/वाणिज्यिक लक्ष्य दिये रहते है, को देर से अंतिम रूप दिया गया था। साथ ही वर्ष 2014–15 के समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप ही नहीं दिया गया था। इस प्रकार, कंपनी के कुशलपूर्वक संचालन को दिशा देने के लिये म. प्र. शासन के साथ समझौता ज्ञापन करने का उद्देश्य ही असफल रहा।

(कंडिका 2.2.12 एवं 2.2.13)

परिचालन गतिविधियाँ

- कंपनी द्वारा 2009–11 के दौरान अपने रेडी टू ईट उत्पादन इकाई का विस्तार एवं खिचड़ी उत्पादन संयंत्र का उपार्जन किया गया था। परन्तु इस विस्तार के साथ अतिरिक्त भंडार क्षमता सृजित नहीं की गई जिस कारण प्लांट के उपार्जन से चार वर्ष बीतने पर भी कंपनी खिचड़ी संयंत्र का परिचालन नहीं कर पायी थी और रेडी टू ईट संयंत्र इकाई पर पर्याप्त भण्डारण क्षमता न होने के कारण कच्चे माल को वैकल्पिक स्थान से परिवहन पर परिहार्य व्यय ₹ 20.96 लाख करना पड़ा।

(कंडिका 2.2.17)

- जैव उर्वरक की बिक्री के लिये शासकीय एजेंसियो पर निर्भरता एवं जैव उर्वरक की बिक्री बढ़ाने के लिए विपणन रणनीति तैयार नहीं करने के कारण कंपनी के जैव उर्वरक

संयंत्र की क्षमता का उपयोग वर्ष 2010–11 के 62 प्रतिशत से गिरकर 2014–15 में 35 प्रतिशत रह गया।

(कंडिका 2.2.19)

• एम.ए.एफ. केवल परंपरागत कृषि की ही गतिविधियो में संलग्न था और अपने उद्देश्यों यथा बीजों का उत्पादन, कृषि के उन्नत तरीको का प्रदर्शन और किसानों का प्रशिक्षण, के अनुरूप गतिविधियाँ शुरू नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त सिंचाई सुविधा की व्यवस्था न करने के कारण कृषि भूमि का उपयोग 2010–11 से 2014–15 की अवधि में खरीफ मौसम के दौरान 22.27 प्रतिशत से 48.41 प्रतिशत के बीच एवं रबी मौसम में 41.42 प्रतिशत से 51.85 प्रतिशत के बीच रहा। एम.ए.एफ. को आवंटित भूमि के कम प्रयोग के कारण म.प्र. शासन ने 679.89 हेक्टेयर भूमि अक्टूबर 2012 में वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार विभाग को हस्तांतरित कर दी थी।

(कंडिका 2.2.20 एवं 2.2.22)

निगरानी एवं आंतरिक नियंत्रण

• आंतरिक नियंत्रण तंत्र कमजोर था क्योंकि सब्सिडी एवं अग्रिमों का समय से उपयोग और अप्रचलित स्टोर्स और बेकार संपत्तियों के समय से निपटान देखने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। कंपनी के संचालक मंडल की नियमित बैठकें न आयोजित करने के कारण समय से निर्णय लेने एवं निगरानी तंत्र प्रभावित हुआ था।

(कंडिका 2.2.25 एवं 2.2.26)

2.3 मध्य प्रदेश में नव एवं नवकरणीय ऊर्जा का विकास

राज्य में अक्षय ऊर्जा के स्त्रोतों को बढ़ावा देने के लिए, मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम की स्थापना 25 अगस्त 1982 में की गई थी । राज्य में अक्षय ऊर्जा से संबंधित गतिविधियाँ ग्रिड संबंधित एवं बिना ग्रिड सम्बन्धित (ऑफ ग्रिड) परियोजनाओं में वर्गीकृत है । ग्रिड सम्बन्धित परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए कार्यालय, आयुक्त, नवीन और नव करणीय ऊर्जा (विभाग) की स्थापना (अप्रैल 2010) में की गई थी, जबकि कम्पनी ऑफ ग्रिड सम्बन्धित परियोजनाओं के कार्यान्वयन से संबंधित गतिविधियाँ करती है ।

निष्पादन लेखापरीक्षा वर्ष 2010–11 से 2014–15 के दौरान विभाग का ग्रिड गतिविधियों निष्पादन और ऑफ ग्रिड गतिविधियो के विकास से संबंधित कम्पनी के निष्पादन को जानने के लिये की गई थी । निष्पादन लेखापरीक्षा के मुख्य निष्कर्ष निम्नलिखित है ।

ग्रिड सम्बन्धित अक्षय ऊर्जा परियोजनाएं

राज्य में अक्षय ऊर्जा की स्थापित क्षमता 39095 मेगावाट की अनुमानित क्षमता के खिलाफ केवल 1243 मेगावाट था । मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अक्टूबर 2011 से जुलाई 2012 तक के दौरान सौर, पवन, लघु जल बिजली और बायोमास सम्बन्धित ऊर्जा परियोजनाओं के लिए बनाई गई अक्षय ऊर्जा नीतियों में राज्य में अक्षय ऊर्जा की क्षमता के आकलन पर आधारित नहीं थी, जिसका अक्टूबर 2014 में मूल्यांकन किया गया था । इसके अलावा, क्षमता वृद्धि के लिए कोई विशेष लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये थे और न ही अक्षय ऊर्जा के विकास के लिए कोई दीर्घकालिक/अल्पावधि योजनाएं विभाग द्वारा तैयार की गई थी। नतीजतन, राज्य में अक्षय ऊर्जा की संभावना को एक सुनियोजित तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जा सका ।

(कंडिका 2.3.2 और 2.3.8)

• 31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार, सौर में 453.22 मेगावाट की परियोजना (45 प्रतिशत), पवन में 665.30 मेगावाट (9 प्रतिशत) और बायोमास में 55.40 मेगावाट (12 प्रतिशत) क्षमता का 1007.50 मेगावाट, 7196.55 मेगावाट और 471.20 मेगावाट क्रमशः पंजीकृत परियोजनाओं के खिलाफ क्रियाशील किया गया था । इसके अलावा कोई लघु जल बिजली परियोजना विभाग द्वारा क्रियाशील नहीं किया गया था । इसके अलावा, सौर में 247 मेगावाट की परियोजना (25 प्रतिशत), 833.35 मेगावाट पवन में (12 प्रतिशत), लघु जल बिजली में 44.80 मेगावाट (14 प्रतिशत) और बायोमास में 194 मेगावाट (41 प्रतिशत) की परियोजनाओं का पंजीकरण विभाग द्वारा निरस्त किये गए थे ।

• परियोजनाओं के क्रियाशीलता के कम प्रतिशत और ज्यादा पंजीकरण निरस्तीकरण के लिए परियोजनाओं के लिए भूमि का आवंटन न किया जाना, विकासकर्ताओं द्वारा उदासीनता दिखाया जाना, कच्चे माल की अनुपलब्धता, ऊर्जा के लिए अपर्याप्त टैरिफ और परियोजनाओं की लंबी अवधि थे, परिणामस्वरूप अक्षय ऊर्जा की बिजली परियोजना को स्थापित करने के लिए निजी विकासकर्ताओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के अक्षय ऊर्जा की नीतियों के मूल उद्देश्य को पूरा नहीं किया गया ।

(कंडिका 2.3.9, 2.3.13 और 2.3.14)

• सरकारी जमीन पर परियोजनाओं को समय पर पूरा करना सुनिश्चित करने के ग्रिड सम्बन्धित पवन और बायोमास ऊर्जा परियोजनाओं से जुडे सात विकासकर्ताओं से निष्पादन गारंटी के गैर–संग्रह के कारण ₹ 1.02 करोड़ का अनुचित लाभ दिया जाना ।

(कंडिका 2.3.12 और 2.3.15)

ऑफ ग्रिड सम्बन्धित अक्षय ऊर्जा परियोजनाए

• मध्य प्रदेश शासन ने ऑफ ग्रिड अक्षय ऊर्जा प्रणालियों की स्थापना के लिए कोई विशेष नीति और वार्षिक लक्ष्य तय किए नहीं किये है । विशिष्ट लक्ष्यों के अभाव में, ऑफ ग्रिड परियोजनाओं की स्थापना लाभार्थियों से प्राप्त तदर्थ मांग के आधार पर किया जा रहा था। नतीजतन, राज्य में ऑफ ग्रिड सम्बन्धित नवकरणीय ऊर्जा के लिए पूरी क्षमता का इस्तेमाल नहीं किया जा सका ।

(कंडिका 2.3.17)

• आपूर्तिकर्ताओं के द्वारा कार्य को पूरा न किये जाने के कारण एवं कार्य आदेशों के लगातार रद्द होने के कारण वर्ष 2010–15 के दौरान कंपनी नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) द्वारा 6725 के.डब्ल्यू.पी. क्षमता की मंजूरी के विरूद्ध केवल 3061 के. डब्ल्यू.पी. क्षमता (45 प्रतिशत) ही सौर फोटो वोल्टिक ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर सका । आपूर्तिकर्ताओं द्वारा काम के पूरा न होने के कारणों को विश्लेषण करने में और सुधारात्मक कारवाही करने में कंपनी की विफलता के कारण लाभार्थी अक्षय ऊर्जा के लाभ से वंचित हुए यद्यपि 31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार ₹ 34.08 करोड़ के लाभार्थी हिस्सेदारी कंपनी के साथ अप्रयुक्त पड़ी रही थी ।

(कंडिका 2.3.18)

• रद्द किये गये कार्य आदेशों की पुनः निविदा में की गई देरी के कारण वर्ष 2010–15 के दौरान कंपनी नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा स्वीकृत 81.70 लीटर प्रतिदिन क्षमता के सौर गर्म जल संयंत्र के विरूद्ध केवल 18.66 लाख लीटर प्रतिदिन (22.84 प्रतिशत) क्षमता के सौर गर्म जल संयंत्र की ही स्थापना कर पाई परिणामस्वरूप 31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार लाभार्थी अंश के रूप में ₹ 4.54 करोड़ कंपनी में व्यर्थ पड़ा हुआ था ।

(कंडिका 2.3.19)

• कंपनी के अधिकारियों के साथ लेखापरीक्षा दल द्वारा 38 स्थापित सौर फोटोवोल्टिक संयंत्र प्रणालियों के संयुक्त भौतिक सत्यापन में केवल 26 प्रणालियां (68 प्रतिशत), क्रियाशील पाये गये चार प्रणाली (11 प्रतिशत) बिना क्रियाशील हालत में और 8 प्रणाली (21 प्रतिशत) यद्यपि क्रियाशील हालत में थे परन्तु आपूर्तिकर्ताओं द्वारा रख रखाव की कमी और कम्पनी द्वारा समुचित निगरानी के अभाव के कारण पुर्जो/बैट्री आदि में समस्याओ का सामना कर रहे थे। इस प्रकार कम्पनी स्थापित संयंत्रो के दीर्घकालिक स्थिरता और समुचित रख–रखाव करने में विफल रही परिणामस्वरूप लाभार्थियों को इच्छित लाभ से वंचित होना पड़ा ।

(कंडिका 2.3.20)

• वर्ष 2010–15 के दौरान राज्य में अक्षय ऊर्जा के अपर्याप्त उत्पादन के कारण विद्युत वितरण कम्पनियॉ मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा तय अक्षय ऊर्जा खरीद बाध्यता (आर.पी.ओ.) के लक्ष्यों को पूरा नहीं कर सकी परिणामस्वरूप कुल 6316.91 मिलियन यूनिट आर.पी.ओ. लक्ष्य प्राप्ति में कमी हुई इसके अलावा विद्युत वितरण कम्पनियों ने नियमों का उल्लंघन करते हुए अक्षय ऊर्जा खरीद बाध्यता में कमी के लिए ₹ 3013.20 करोड़ की अक्षय ऊर्जा प्रमाण पत्र की खरीद नहीं की थी ।

(कंडिका 2.3.22)

3. लेनदेन लेखा परीक्षा टिप्पणीयॉ

इस अध्याय मे शामिल लेनदेन लेखा परीक्षा टिप्पणीयॉ सार्वजनिक उपक्रमों के प्रबंधन में पायी गयी कमियो को दर्शाती है जिसमे गंभीर वित्तीय अनियमितताए सम्मिलित है। अध्याय मे एक दीर्घ कंडिका ''मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में राज्य सरकार की वित्तीय संरचना योजना का क्रियान्वयन'' भी शामिल की गयी है। पायी गयी अनियमितताए मुख्य रूप से निम्न प्रकृति की है :

नौ प्रकरणो मे नियमो, निर्देशो प्रक्रियाओ तथा अनुबंधो के नियम व शर्तो का पालन न करने के कारण ₹ 2231.75 करोड़ की हानि हुई।

(कंडिकाए 3.1, 3.2, 3.3, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10 और 3.12)

चार प्रकरणों में दोषपूर्ण/अपूर्ण नियोजन के कारण ₹ 5.37 करोड़ की हानि हुई।

(कंडिकाए 3.4, 3.5, 3.11 और 3.13)

वृहत कंडिका के महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा टिप्पणीयो का सार निम्न है :

• वित्तीय पुर्नसंरचना योजना का प्रथम चरण जो कि वर्ष 2011–12 से 2013–14 के दौरान लागू किया गया था, राज्य सरकार द्वारा वितरण कंपनी के संचालन तथा वित्तीय प्रर्दशन मे सुधार हेतु कोई भी लक्ष्य निर्धारित नही किये। परिणाम स्वरूप, वितरण कंपनी की निम्न वित्तीय स्थिति के कारण राज्य सरकार द्वारा ₹ 2214.38 करोड़ का लघु अवधि ऋण दिया गया जो कि ₹ 5012.90 करोड़ वित्तीय संरचना कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तीय सहायता के अतिरिक्त था।

(कंडिका 3.1.8)

• विस्तारित वित्तीय पुर्नसंरचना योजना (2014–17) में मध्यप्रदेश शासन द्वारा, राजस्व वसूली की औसत दर तथा औसत वितरण लागत के मध्य विद्यमान अंतर मे कमी को न लिंक करते हुए राजस्व वसूली औसत दर के लक्ष्यों का निर्धारण किया। परिणामस्वरूप राजस्व वसूली की औसत दर तथा औसत वितरण लागत की दर के बीच अंतर, वित्तीय पुर्नसंरचना योजना के लागू होने के पश्चात् भी बना रहा।

(कंडिका 3.1.9)

• वितरण कंपनी औसत तकनीकी तथा वाणिज्यिक हानियों को मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित स्तरो तक घटाने मे असमर्थ रही, जैसा कि विस्तारित वित्तीय पुर्नसंरचना योजना मे प्रावधानित था। परिणामस्वरूप डिस्काम द्वारा ₹ 582.83 करोड़ की तकनीकी व वाणिज्यिक हानियॉ अवशोषित की गयी जिससे डिस्काम की वित्तीय स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पडा।

(कंडिका 3.1.10)

• वित्तीय पुर्नसंरचना योजना कि शर्तो के अनुसार, वितरण कंपनी फीडर सेपरेशन योजना के अंतर्गत चालू कार्यो की पुर्णता मे विलंब एवं निरस्त किये हुए कार्यो की पुनः आदेशित करने में विलंब के कारण, 1589 फीडर्स मे 777 फीडर्स में फीडर्स सेपरेशन योजना के अर्न्तगत पूर्ण करने मे असफल रही।

(कंडिका 3.1.13)

• वितरण कंपनी वित्तीय स्थिति मे सुधार तथा वाणिज्यिक रूप से सक्षम होने के उद्देश्यो को वित्तीय पुर्नसंरचना के चार वर्ष पूर्ण होने के पश्चात् भी प्राप्त नही कर सकी। परिणामस्वरूप 2011–12 से 2014–15 के दौरान ₹ 8602 करोड़ की वित्तीय सहायता प्राप्त करने के बाद भी मध्य प्रदेश शासन पर निर्भर रही।

(कंडिका 3.1.14)

कुछ महत्वपूर्ण लेनदेन लेखापरीक्षा टिप्पणियों का सार नीचे दिया गया है :

• चालू खाते में सी0एल0टी0डी0 योजना नही अपनाने एवं परिणामस्वरूप चालू खाते में आधिक्य निधि रहने से मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड को राशि ₹ 1.98 करोड़ की ब्याज की हानि हुई।

(कंडिका 3.3)

• मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रानिक डवलपमेन्ट कॉर्पोरेशन द्वारा आवश्यक संयोजन भार के त्रुटिपूर्ण आकलन के कारण विद्युत पर राशि ₹ 1.21 करोड़ का परिहार्य व्यय किया।

(कंडिका 3.5)

• मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रानिक डवलपमेन्ट कॉर्पोरेशन आई0टी0 द्वारा नीति से विचलन कर आई0टी0 कम्पनियों को कम दरों पर भूमि का आवंटन किया गया। परिणामस्वरूप सरकार को राशि ₹ 128.85 करोड़ की हानि हुई एवं उसी सीमा तक आई0टी0 कम्पनियों को अनुचित लाभ हुआ।

(कंडिका 3.6)

• मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड द्वारा आपूर्ति भाग के लिए ठेकेदारों के बिलों से राशि ₹ 49.39 लाख के कर्मचारी कल्याण उपकर की कम वसूली की गयी एवं इस प्रकार ठेकेदारों को अलक्षित लाभ पहुॅचाया गया।

(कंडिका 3.7)

• परामर्शदाता द्वारा परियोजना सम्भाव्यता प्रतिवेदन में अनुशंसित/मान्य अवधि से अधिक निर्माण अवधि की अनुमति के परिणामस्वरूप रियायतग्राही को राशि ₹ 12.21 करोड़ के अतिरिक्त बोनस का भुगतान मध्यप्रदेश सडक विकास निगम द्वारा किया गया।

(कंडिका 3.8)

● मध्यप्रदेश सडक विकास निगम द्वारा प्रब्याजि के विलंब से भुगतान के लिए अनुबंध के उपवाक्य के अनुसार ब्याज की वसूली न करने के परिणामस्वरूप राशि ₹ 3.17 करोड़ ब्याज की हानि साथ ही रियायतग्राही से राशि ₹ 43.20 करोड़ की वसूली भी नही हुई।

(कंडिका 3.9)

● रियायत अनुबंध में परियोजना के निर्धारित समयावधि से पूर्व समापन के लिए बोनस के भुगतान की कोई अधिकतम सीमा का उल्लेख नही किया गया एवं परामर्शदाताओं द्वारा अनुशंसित निर्माण अवधि से अधिक निर्माण अवधि की अनुमति देने के परिणामस्वरूप राशि ₹ 85.02 करोड़ का अतिरिक्त बोनस भुगतान मध्यप्रदेश सडक विकास निगम द्वारा किया गया।

(कंडिका 3.10)

● दादा धुनीवाले खन्डवा पावर लिमिटेड द्वारा कोयले की श्रृखंला को सुनिश्चित किए वगैर संचालन जारी रखने के परिणामस्वरूप राशि ₹ 1.03 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

(कंडिका 3.12)

● नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट्स लिमिटेड स्वयं के ज्ञापन में अर्न्तनिहित उपवाक्य के विरूद्व व्यर्थ निधि को सावधिक जमा (एफ0डी0) में निवेशित करने में असफल रही परिणामस्वरूप राशि ₹ 1.15 करोड़ के ब्याज सें आय के अवसर की हानि हुई।

(कंडिका 3.13)